

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,  
प्रमुख सचिव  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 11 जुलाई, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वर्क की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एमई/बजट/2018-19/31, दिनांक 19-04-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वर्क हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 1245.70 लाख (रू0 बारह करोड़ पैतालीस लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हेतु 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ मात्र) में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 498.28 लाख (रू0 चार करोड़ अठानबे लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- 2- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 3- प्रश्नगत प्रायोजना का गठन लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2016 की अनुसूची दरों तथा डी0एस0आर0 2016 पर किया गया है, जो दरें इन दरों में उपलब्ध नहीं हैं, उन दरों को बाजार/कोटेशन दरों पर प्रावधान किया गया है। तदनुसार लागत का परीक्षण किया गया है।
- 4- प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युतीकरण मद में सब स्टेशन उपकरण, डी0 सेट पैनल एवं एन्टी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के वार्षिक अनुरक्षण हेतु रू0 126.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है, जिसे अनुमन्य नहीं किया गया है।
- 5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित बाट आउट कार्य यथा डी0जी0 सेट, ट्रान्सफार्मर की लागत बजटरी आफर/ कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गई है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करे। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत नियमों के आधार किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 6- प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- 7- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/ प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- 8- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 9- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
  - 10- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देखरेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक की होगी।
  - 11- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
  - 12- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
  - 13- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
  - 14- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
  - 15- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप दिनांक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-72-राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1610/दस-2018, दिनांक 10 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

( डा0 रजनीश दुबे )  
प्रमुख सचिव

संख्या:-201/2018/2493(1)/71-1-2018 तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
- 4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
- 6- निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 7- नियोजन-अनुभाग-4
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( अनिल कुमार )  
उप सचिव